"रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी/मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप"

"शपथ–पत्र"

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति का नाम श्री.. तथा व्यवसाय का विवरण ....आयु .... पूर्ण पता ....

मैं शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूॅं। बरेली विकास प्राधिकरण की भाऊराव देवरस बिहारमान नगला आवासीय योजना में अल्प आय वर्ग भवन/भूखण्ड क्षेत्रफल .... वर्गमीटर के आवंटन हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करते हुए आवेदन कर रहा हूॅं/कर रही हूॅं। जिसके तारतम्य में यह शपथ–पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूॅं।

1. यह कि मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
2. यह कि मैं यह घोषणा करता/करती हूॅ कि मैंने बरेली विकास प्राधिकरण की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है, मैं उनका पालन करूँगा/करूगी।
3. यह कि मैं भारत का मूल निवासी हूॅ तथा मेरी नागरिकता भारतीय है।
4. यह कि यदि मैं आवंटित भवन/भूखण्ड का आवंटन स्वीकार नहीं करता/करती हूॅ तब मैं बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूंगा/करूंगी।
5. यह कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया भवन/भूखण्ड मुझे प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगा तथा मुझे इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति/विवाद नहीं होगा।
6. यह कि यदि शपथकर्ता अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो अवशेष बकाया की वसूली ब्याज सहित भू–राजस्व बकाया की वसूली की भाँति जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से की जा सकती है।
7. यह कि मैं वचन देता/देती हूॅं कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है, तो प्राधिकरण को मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जो प्राधिकरण उपयुक्त समझें।
8. यह कि मैं वचन देता हूँ कि मेरा यह शपथ–पत्र गलत पाया जाता है तो मेरा आवंटन निरस्त कर दिया जाए तथा जमा की गयी समस्त धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जाये।
9. यह कि मैं वचन देता/देती हूॅं कि प्रपत्र में अंकित भवन/भूखण्ड के वर्तमान योजना में प्रस्तावित उपयोग के अनुसार ही मैं भवन/भूखण्ड का उपयोग करूँगा/करूँगी।
10. यह कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त योजना के लिए भविष्य मे ंजो भी नियम लागू किये जायेंगे, वह मुझे मान्य होगे।
11. यह कि आवंटित भवन/भूखण्ड के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति की माँग करने का अधिकार नहीं होगा।
12. यह कि मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि भूखण्ड का रख–रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी और मै ही भवन/भूखण्ड के सम्पत्ति कर अथवा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने हेतु उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। जब तक मैं भवन/भूखण्ड की समस्त धनराशि व कर के धन का पूर्ण भुगतान न कर दूंगा/दूंगी, प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूंगा/रहूंगी।
13. यह कि मैं यह भी घोषित करता हूॅं/करती हूँ कि जब तक भवन/भूखण्ड की समस्त बकाया व करों का पूर्णरूप से भुगतान न कर दूॅं मुझे भवन/भूखण्ड बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा तथा भवन/भूखण्ड पर कोई अन्य निर्माण कार्य प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना मैं नहीं करूँगा/करूॅगी और न ही भवन/भूखण्ड की अनुमन्य उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा/लाऊँगी।
14. यह कि भवन/भूखण्ड का वर्तमान मूल्य अन्तरिम है। यदि प्रतिकर बढ़ने से या विकास कार्य मूल्य बढ़ने से भूखण्ड की कीमत बढ़ जाती है तब उस स्थिति में शपथकर्ता बढ़े हुए मूल्य को देने का पाबंद रहेगा और इस विषय में किसी मा0 न्यायालय या उपभोक्ता फोरम में विकास प्राधिकरण के विरूद्व कोई वाद योजित नहीं करेगा।

इस शपथ–पत्र के पैरा–1 से 14 मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से सत्य है इनमें से कुछ भी झूठ नहीं है एवं न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी सहायता करें।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

<u>घोषणा</u> : इस शपथ पत्र का सत्यापन आज दिनॉक .... को .... स्थान पर किया गया ।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)